रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 619] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1992/भाद्र 30, 1914
No. 619] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1992/BHADRA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1992

अधिसूचना

आय-कर

का. आ. 699(अ):—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ, की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए "7 वर्षीय–17.5 प्रतिशत (करार्धेय)

प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय (शृंखला एस बी--1) बंधपत्रों" को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु उक्त खंड के अधीन फायदा ऐसे बंधपत्रों के पृष्ठांकन या परिदान द्वारा अंतरण के मामले में केवल तभी ग्राह्य होगा जब अंतरिती ऐसे अंतरण से 60 दिन की अवधि के भीतर उक्त निगम को रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना दे देता है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी होगी और निर्धारण वर्ष 1993--94 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी ।

[सं. 9098 फा.सं. 328ए/5/91--डब्ल्यू टी]

एस.के. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st September, 1992

NOTIFICATION

(INCOME-TAX)

S.O. 699(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notification No. S.O. 11(E) dated 6th January, 1992, the Central Government hereby specifies the "7 years—17.5 per cent (Taxable) Secured Redeemable Non-Convertible (Series MB-I) Bonds", issued by Tourism Finance Corporation of India Limited, for the purpose of the said clause :

Provided that the benefit under the said clause shall be admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement or delivery, only if the transferee informs the said Corporation by registered post within a period of sixty days of such transfer.

This notification will take effect from the 1st day of April, 1993 and will apply to the assessment year 1993-94 and subsequent assessment years.

[No. 9098 F No. 328A/5/91-WT]

S. K. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992